मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

<u>आदेश</u>

भोपाल, दिनांक 3/04/2018

क्रमांक 2932 /2018/तेरहः दिनांक 31 मार्च,2018 को प्रख्यापित म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु (सेवानिवृत्ति) को साठ (60) से बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश 2018, दिनांक 31 मार्च,2018 के अनुरूप प्रदेश में राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व की विद्युत कंपनियों में कार्यरत/नियुक्त ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु, जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व साठ (60) वर्ष थी, को बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष करता है।

3/ यह आदेश दिनांक 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगा। दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवारत माना जाएगा एवं उपरोक्त विशेष परिस्थिति में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी सेवाएं निरंतर मानी जायेंगी। विद्युत कंपनियों द्वारा इस आदेश के तत्काल क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)
(आई.सी.पी.केशरी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृ.क्रमांक 2933/2018/तेरह — भोपाल, दिनांक 3/04/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (कार्मिक),म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर।
5. प्रबंध संचालक, पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर।
7. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
8. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल।

(हस्ताक्षर)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग